

प्रेषक,

रोमेश कुमार सुधारणा,  
प्रमुख सचिव,  
अन्तर्राष्ट्रीय शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अधिकारी,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

एन. स्टाफ लोक निर्माण अनुभाग-2  
दिवियन्द्र दिवियन्द्र

CCE(P)

प्रमुख सचिव  
अन्तर्राष्ट्रीय शासन।  
प्रमुख अधिकारी  
लोक निर्माण अनुभाग-2

20341  
SSB (P) ॥

देहरादून: दिवांक ॥ ।। अक्टूबर, 2022

विषय वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पायत के विधान सभा क्षेत्र-लोहापाट के अन्तर्गत लोहापाट-मायावती आक्रम मोटर सार्व के किमी. 05 से 09 का बिट्टिन एक्स्ट्राइट द्वारा सुधारीकरण का कार्य (विस्तृत आगामन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुझ्य अधिकारी, क्षे.क्ष., लोक निर्माण विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगामन, मोटर सार्व की कुल लम्बाई 5.00 किमी. एवं लागत, ₹121.03 लाख है, पर शासन द्वारा परिकल्पनोपर्यन्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पारी गयी धनराशि ₹115.78 लाख (रुपये एक करोड़ पचास हाल अठाहतर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) को धनराशि आपके निवालन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- i. विस्तृत आगामन में उल्लिखित दरों का विशेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरे शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी भावरक्षक होगी, विना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाया यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कारये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- ii. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुदन्धि में, निर्माण से सम्बन्धित माझिलतटीन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अद्यारोपित करते हुए वस्त्रों की कर्तव्याधी सुनिश्चित की जायेगी।
- iii. ठेकेदार द्वारा समय से कर्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का

अधिकारित नियमादली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शारन की पूर्णतमति के बिना, अपूर्ण ग्राहण में समाप्त नहीं किया जायेगा।

- v. निर्माण कार्य को समर्थन रूप से पूरा किये जाने के समर्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी अधिकारिता का होणा।
- vi. कार्य पर उत्तरा ही व्यय किया जाय जितना को स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय करवाये न किया जाये।

- vii. कार्य कराने से पूर्व समर्त औपचारिकताएं तकनीकी रिलि के मर्याद जनरा रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनेजमेंट के अनुपालन नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- viii. आगामी से जिन गदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी गद में किया जाय, एक मद का ट्रस्टी मद में व्यय करायि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अधिक विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनदेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का माहूरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुरितका के सुसंगत लियामौ, बजट भैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रैक्टिसोन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समयसमय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का काबैड से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वरीमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2023 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत गद (चालू कार्यों) में निवालन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शारन के शासनदेश संघर्षा- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत मादेशों का कार्य कराते समय या आगामी गोलित करते समय कड़ाइ गे अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आंवंटन, चित्त अवमान-1 के शासनदेश संघर्षा- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संडरा-22, के अन्तर्गत संलग्न अलैटरेंट आई। द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान से-22 लोक शीष्विक-5054 सड़कों तथा सेरुओं पर पूर्जीगत परिवहन-04 जिला तथा अन्य सड़क-337 सड़क निर्माण कार्य-03 गाउच सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से संशोधनात्तरित) के नामे जाली जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कामयादरजनित क्रमांक-1/67636/2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 में प्रदत्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अवधीय,

**Signed by Ramesh Kumar  
Sudhanshu Shyam  
Date: १०-१०-२०२२ १३:१२:४६**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को स्वयंशी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौतालगढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुद्रासंबोधी, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, जैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. मुख्य अधिकारी, देवीया कर्यालय, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्यवरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राज्यीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधिकारी अधिकारी, तृतीय वृत्त, लोक नियम विभाग, विधायक।
10. अधिकारी अधिकारी, निर्माण खण्ड, लोक नियम विभाग, लोहाघाट।
11. गाई पर्फेल।

**Signed by Shyam Singh  
Date: 10-10-2022 18:46:13**

(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव

आवंटन पत्र संख्या -I/69246/2022  
अनुदान संखा - 022

तेजा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिक्षय

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नया निर्माण कार्य-(5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित )

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर  
Voted

| मानक मद का नाम  | पूर्व में जारी वर्तमान में जारी | अब तक का खप | योग |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-----|
| 53-तुहद निर्माण | 880000                          | 10000       | 0   |
| योग             | 880000                          | 10000       | 0   |

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अधिकार्यालय एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन- " उत्तराखण्ड देहरादून  
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand  
Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>  
E-mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक- 789 / 20 यातां'क' / 2022

दिनांक 17 .10.2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अधिकार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अधिकार्यालय, गृहीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- अधिकार्यालय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट।
- अधिकार्यालय, आईटीसैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैकासाईट" पर अपलोड कराने का कार्य करें।
- कार्यालय अधिकारी प्राविधिक / बजट कर्म, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- पत्रावली संख्या-20 यातां 0 हेतु।

16/10/2022  
16/10/2022  
16/10/2022

दिनांक 17.10.2022  
प्रमुख अधिकारी  
एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग  
उत्तराखण्ड देहरादून

पत्रावली संख्या-20  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।